(163) (37)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म 0 प्र0

20 Rs. COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R - 2095 - III/14

सुखीनन्द गुप्ता पिता श्री रामप्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम बकिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म 0 प्र 0 ———————————— निगरानीकर्ता

बनाम

1 :– बाबूलाल मिश्रा तनय श्री राजमणि प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम – ओबरा तह0 सेमरिया जिला रीवा म 0 प्र 0

2:– शासन म 0 प्र 0 ———————————— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री मान तहसीलदार साहब तहसील सेमरियाजिला रीवा म 0 प्र 0 द्वारा पारित नक्शा तरमीम की पुष्टि प्रकरण कमांक 4 /अ5/09 / 2010 मे पारित आदेश दिनांक 7/5/010 बावत भूमि खसरा कमांक 172 /1 छ/3 रकवा 0. 018 हे 0 स्थित ग्राम – कोटरा 87 हल्का सेमरिया 559 तहसील सेमरिया जिला रीवा म 0 प्र 0

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 सं0 सन 1959 ई0

द्वारा आज दिनांक 3/07/14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2199
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :'–

1:– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया नक्शा तरमीम का सन्दर्भित पुष्टि आदेश विधि एवम प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

2 :– यह कि निगरानीकर्ता ने विकेता श्री दिनेश प्रसाद तनय श्री वंशधारी महापात्र से आराजी नं 0 172 /1 छ रकवा 0.198 हे 0 का जुज रकवा 20 / 100 वर्ग फिट यानी 2000 वर्ग फिट मालियती 36000 हजार रू0 मे पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 18 /3/94 को कय कर कब्जा दखल प्राप्त किया था जिसमे दर्शाई गई चौहद्दी के आधार पर सतना सेमरिया रोड से 20 फिट रोड तरफ तथा पूर्व तरफ गहराई 100 फिट का प्लाट लिया था जो निग0 के नाम पटटा कब्जा व डाइवर्सन हो चुका है नक्शा तरमीम नही हुआ था गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 ने गलत तरीके से पटवारी हल्का व रा 0 नि 0 को अपने पक्ष मे करते हुए अपने द्वारा विकेता दिनेश प्रसाद शर्मा से कय दिनांक 15 /4/ 2004 मे पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर कय करते हुए अपने पंजीकृत विकय विलेख मे दर्शाई गई चौहद्दी के विपरीत निगरानीकर्ता के स्थान का तरमीम करा लिया है जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है

सुखीनन्द गुप्ता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 2095-III/14 जिला रीवा

सुरवीनन्द गुप्ता विरूद्ध बाबूलाल मिश्रा

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री आदित्य सिंह अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 04/अ-5/09-10 में पारित आदेश दिनांक 07-05-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	